

कार्यालय

पत्रांक-आर-72 जोडी0/जीवीएन-14 गा0बाद

संयुक्त

निदेशक

फा0स0

मुख्यालय

दिनांक: अप्रैल

22

लखनऊ
2018

सहायक अभियन्ता,

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण,

गाजियाबाद।

विषय:

मैसर्स रिफम बिल्डवेल प्रा0लि0 डायरेक्टर सुनील जैन द्वारा खसरा संख्या: 538, 540/1 एवं 540/2 एवं 543 ग्राम मोडिदीनपुर कनावनी गाजियाबाद पर प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग भवन " दिण्डन ग्रीन वैली, इन्दिरापुरम " के मानचित्रों की अनुज्ञा हेतु प्रोविजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

यूआईडी-

2016/20709/जीजीडबी/गाजियाबाद/1306/जोडी0

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आवेदक द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से प्ररनगत भवन मानचित्रों के साथ अन्य दौख्तीय अमिलेख प्रस्तुत कर प्रोविजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

प्ररनगत भवन के स्थल का निरीक्षण एवं मानचित्रों का अध्ययन अग्निशमन अधिकारी वैशाली गाजियाबाद से कराया गया तथा उनकी आख्या पत्र संख्या: ग-51/एफएसवी/16 दिनांक: 21-04-2018 का सुसंगत मानकों के अनुसार परीक्षण मुख्य अग्निशमन अधिकारी गाजियाबाद द्वारा कर अपनी आख्या दिनांक: 25-04-2018 उपनिदेशक, फायर सर्विस मेरठ परिक्षेत्र के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराई जिसका सुसंगत मानकों के अनुसार परीक्षण किया गया प्रस्तावित भवन का विवरण निम्नवत है:-

भवन की संरचना:-

कुल प्लाट एरिया- (23897.820+2727.76) कुल 26625.580 वर्गमीटर।

अपर बेसमेन्ट- 13929.274 वर्गमीटर।

लोअर बेसमेन्ट-13929.274 वर्गमीटर।

थर्ड बेसमेन्ट एरिया-13929.274 वर्गमीटर।

बेसमेन्ट एरिया टावर स्काईलिस-3-1255.329 वर्गमीटर।

लोअर ग्राउण्ड फ्लोर एरिया स्काईलिस 3-(285.592+405.058) वर्गमीटर।

क्रमांक	टावर का नाम	तलों की संख्या	स्टिप्प/भूगोल कवर्ड एरिया वर्गमी0	ऊँचाई (मीटर में)	स्टेयर केसो की संख्या व चौड़ाई
1-	स्काईलिस-1	3बेस0+स्टि0+11	621.827	42.250	02, चौ0 1.50 व 1.25 मी0
2-	जैसमिन	3बेस0+स्टि0+11	573.925	42.250	02, चौ0 1.50 व 1.25 मी0
3-	मिडोज-1	3बेस0+स्टि0+सर्विस+32	690.715	109.45	02, चौ0 1.50 व 1.25 मी0
4-	मिडोज-2	3बेस0+स्टि0+सर्विस+31	674.772	103.10	02, चौ0 1.50 व 1.25 मी0
5-	मिडोज-3	3बेस0+स्टि0+सर्विस+31	524.9270	103.10	02, चौ0 1.50 व 1.25 मी0
6-	स्काईलिस-2	3बेस0+स्टि0+8	526.588	29.700	02, चौ0 1.50 व 1.25 मी0
7-	स्काईलिस-3	बेस0+लोअर+अपर+12	अपर ग्राउण्ड कवरेज (394.953+371.657)	38.250	02, चौ0 1.50 व 1.25 मी0
8-	ई डब्ल्यू एस/एल.आई.जी.	3बेस0+स्टि0+18	373.862	58.90	02, चौ0 1.50 व 1.25 मी

भवन का अधिमोर्ग एवं हैजार्ड:-प्ररनगत भवन का अधिमोर्ग आवासीय अपार्टमेन्ट, (एन0बी0सी0-2005 की ए-4 श्रेणी) के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

डांचागत व्यवस्था:-

1-पहुँच मार्ग:- भूखण्ड के सामने मानचित्रों में रोड की चौड़ाई 30 मीटर 18 मीटर प्रदर्शित है जो भवन नियमावली के मानकों के अनुसार है।

2-प्रवेश द्वार:-प्ररनगत भवन में प्रवेश द्वार की चौड़ाई 06.00 मीटर है।

3-सैटबैक:- प्लाट एरिया-(23897.820)

ए0-अग्रभाग-15.00 मीटर।

बी-पृष्ठभाग-09.00 मीटर।

सी-पार्श्व प्रथम-09.00 मीटर।

अभियन्ता निदेशक फा0 स0

22 04 2018

डी-पार्श्व द्वितीय-09.00 मीटर।

प्लॉट एरिया- (स्काईलिस3-2727.76वर्गमीटर)

ए0-अग्रभाग-07.50 मीटर।

बी-पृष्ठभाग-06.00 मीटर।

सी-पार्श्व प्रथम-04.50 मीटर।

डी-पार्श्व द्वितीय-04.50 मीटर।

उपरोक्तानुसार भवन के दोनो प्लॉट एरिया के सैट बैंक भवन विनियामली के अनुसार है। भवनो के चारो ओर अग्निशमन वाहनो की आवश्यकताओ हेतु 06-06 मीटर हार्डसरफेस युक्त मोटरेबुल मार्ग प्रदर्शित है। जिसे सदैव अवरोध मुक्त ऑपन टू स्काई रखा जायेगा। इसमे किसी प्रकार का स्थायी/अस्थायी निर्माण कार्य अनुमन्य नहीं होगा।

4-निकास मार्ग-प्रश्नगत भवन में उपरोक्त तालिकानुसार स्टेयर कैस प्रस्तावित है। जिनकी प्लोर के समस्त स्थानो से ट्रेवलिंग डिस्टेन्स अधिकतम अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत है। फायर स्टेयरकेस मे 01 घण्टे फायर रेटिंग का फायर चैक डोर स्थापित करते हुये इसे एन0बी0सी0 मानको के अनुसार फायर टावर के रूप मे बनाया जाना अनिवार्य होगा। वेसमेन्ट मे लिफ्ट लॉबी तथा स्टेयर लॉबी का निर्माण कराया जाना अनिवार्य होगा।

(2) लिफ्ट-सभी टावरो मे न्यूनतम एक लिफ्ट को एन0बी0सी0 मानको के अनुरूप फायर लिफ्ट के रूप मे बनाया जाना अनिवार्य होगा।

5-रिफ्यूज एरिया:- प्रश्नगत भवन रिफ्यूज एरिया हेतु प्रत्येक फ्लैट में बालकनी का प्राविधान किया गया है, जो एन0बी0सी0 मानको के अनुसार है।

प्रस्तावित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था:- नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया-2005 तथा भवन की महत्ता एवं फायर रिस्क के दृष्टिगत निम्नांकित अग्निशमन व्यवस्थाएँ कराया जाना आवश्यक है।

1-टैरिस टैंक :-प्रस्तावित भवन के स्काईलिस-2 की टैरेस पर 25,000 ली0 क्षमता मय 900 एलपीएम टैरेस पम्प व अन्य ब्लाको की टैरेस पर टैरेस टैंक क्षमता 25,000 लीटर स्थापित कराया जाना एन0बी0सी0 मानको के अनुसार वांछनीय है।

2-भूमिगत टैंक:-प्रश्नगत भवन मे अण्डर ग्राउण्ड वाटर स्टोरेज टैंक क्षमता-2,00,000 (दो लाख) लीटर मानको के अनुसार स्थापित कराया जाना वांछनीय है।

3-फायर पम्प-प्रस्तावित भवन में दो इलैक्ट्रिक फायर पम्प क्षमता 2850 एलपीएम दो अदद जौकी पम्प 180 एलपीएम एवं समान क्षमता का डीजल फायर पम्प तथा जौकी पम्प क्षमता 180 एल0पी0एम0 का प्राविधान किया जाना वांछनीय है।

4-होजरील मय डाउन कमर-प्रश्नगत भवन के प्रत्येक ब्लाक में प्रत्येक तल पर होजरील लैण्डिंग वाल्व मय होज बाक्स, होज पाइप एवं ब्रांच पाइप आईएस-3844 मानको के अनुसार स्थापित कराया जाना वांछनीय है।

5-वेटराईजर सिस्टम-प्रश्नगत भवन में वेटराईजर सिस्टम का प्राविधान मानको के अनुसार कराया जाना वांछनीय है।

6-यार्ड हाइड्रेंट सिस्टम-प्रश्नगत भवन मे यार्ड हाइड्रेंट सिस्टम का प्राविधान मानको के अनुसार कराया जाना उचित होगा।

7-ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम-प्रश्नगत सम्पूर्ण भवन मे ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम का प्राविधान मानको के अनुसार कराया जाना वांछनीय है।

8-मैन्युअल आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर अलार्म सिस्टम:- प्रस्तावित भवन मे मैन्युअल आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर अलार्म सिस्टम का प्राविधान मानको के अनुसार कराया जाना वांछनीय है।

9-ऑटोमेटिक डिटेक्शन सिस्टम एवं अलार्म सिस्टम-प्रश्नगत भवन मे ऑटोमेटिक डिटेक्शन सिस्टम एवं अलार्म सिस्टम का प्राविधान मानको के अनुसार वांछनीय है।

10-फायर एक्सटिंग्यूशर-प्रश्नगत भवन में आई0एस0 2190 मानको के अनुसार फायर एक्सटिंग्यूशर्स का प्राविधान कराया जाना वांछनीय है।

11-कम्पार्टमेन्टेशन:-प्रश्नगत भवन मे कम्पार्टमेन्टेशन एन0बी0सी0 मानको के अनुसार वांछनीय है।

12-एग्जिट साइनेज:- प्रश्नगत भवन मे एग्जिट साइनेज मानको के अनुसार स्थापित कराया जाना वांछनीय है।


13-प्रेशराइजेशन- प्रश्नगत भवन मे निकास मार्ग का प्रेशराइजेशन एन0बी0सी0 मानको के अनुसार वांछनीय है।

14-स्मोक एक्सट्रैक्शन सिस्टम:-प्रश्नगत भवन के वेसमेन्टो मे मैकेनिकल वैन्टीलेशन/स्मोक एक्सट्रैक्शन सिस्टम एन0बी0सी0 मानको के अनुसार स्थापित कराया जाना वांछनीय है।

15-पी0ए0सिस्टम :- सम्पूर्ण भवन में पी0ए0सिस्टम की व्यवस्था स्थापित करते हुए भवन के सभी तलों के कॉमन एरिया में लाउडस्पीकर लगाये जायें तथा पी0ए0 सिस्टम का कन्ट्रोल स्विच एवं गार्डक्रोफोन, एम्पलीफायर भूतल पर नियन्त्रण कक्ष (कण्ट्रोल रूम/सुरक्षा कक्ष) में अनिवार्य रूप से स्थापित कराया जाये। नियन्त्रण कक्ष में लिफ्ट के इन्टरकम्यूनिकेशन सिस्टम के साथ-साथ सभी आकस्मिक सेवाओं से सम्बन्धित संचार सुविधा उपलब्ध रहे।


16-प्रश्नगत भवन मे इमरजेन्सी/स्केप लाइटिंग एन0बी0सी0-2005 पार्ट-4 मे उल्लेखित प्राविधानो के अनुसार कराया जाना प्राविधानित होगा।

17-भवन मे निर्माण के पश्चात व उपयोग से पूर्व भवन मे अधिष्ठापित अग्निशमन प्रणाली के कुशल संचालन एवं सदैव कार्यशील बनाने रखने हेतु एन0बी0सी0-2005 पार्ट-4 प्रस्तर सी0-5, सी-6, सी-7, सी-8 एवं सी-9 मे उल्लेखित मानको का पालन अनिवार्य होगा।


प्री0 के0 केव
संयुक्त निदेशक का0 स0
30.08.2025

18-भवन की सम्पूर्ण अग्निशमन प्रणाली फायर लिफ्ट,स्टेयर कैसो व कोरिडोर की लाइटों को वैकल्पिक उर्जा स्रोत से प्रथक लाइन(वायरिंग) फायर सेफ डक्ट से सुरक्षित करते हुये जोड़ा जाना आवश्यक होगा।

अतः उपरोक्तानुसार मैसर्स रिपभ विल्डवेल प्रा0लि0 डायरेक्टर सुनील जैन द्वारा खसरा संख्या: 536, 540/1 एवं 540/2 एवं 543 ग्राम मोउद्दीनपुर कनावनी गाजियाबाद पर प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग भवन " हिण्डन ग्रीन वैली, इन्दिरापुरम" के मानचित्रों की अनुज्ञा हेतु प्रोविजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ निर्गत किया जाता है कि आवेदक द्वारा भवन/इकाई में अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी सभी प्रस्तावित प्राविधान भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2008 तथा एन0बी0सी0-2005 में उल्लेखित मानकों के अनुसार कराये जायें तथा भवन निर्माण उपरान्त भवन का प्रयोग करने से पूर्व भवन में अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थाएँ मानकों के अनुसार स्थापित कर उनका निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर पूर्णता अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा, अन्यथा निर्गत किये जाने वाला भवन निर्माण हेतु अर्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।


संयुक्त निदेशक, फायर सर्विस
गाजियाबाद (राज्य)
संयुक्त निदेशक फा0 स0
20 प्र0 लखनऊ

प्रतिलिपि:1-उपनिदेशक फायर सर्विस मेरठ को सूचनार्थ।

2-मुख्य अग्निशमन अधिकारी जनपद गाजियाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

3-अग्निशमन अधिकारी वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

✓ मैसर्स रिपभ विल्डवेल प्रा0लि0 डायरेक्टर सुनील जैन द्वारा खसरा संख्या: 536, 540/1 एवं 540/2 एवं 543 ग्राम मोउद्दीनपुर कनावनी गाजियाबाद को अनुपालनार्थ।